



वश्व सामाजिक न्याय दविस

प्रलमिस के लयि:

वश्व सामाजिक न्याय दविस

मेन्स के लयि:

सामाजिक न्याय संबन्धी मुद्दे

चर्चा में क्यो:

20 फरवरी, 2020 को वश्व सामाजिक न्याय दविस (World Social Justice Day) मनाया गया ।

वर्ष 2020 सामाजिक न्याय दविस की थीम:

"सामाजिक न्याय प्राप्ति की दशा में असमानता अन्तराल को समाप्त करना" (Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice)

सामाजिक न्याय की अवधारणा:

- सामाजिक न्याय का तात्पर्य देशों के शांतपूरण सह-अस्तित्व और विकास के लयि आवश्यक सदिधांत से है, जो न केवल अंत:देशीय समानता अपत्ति अंतरदेशीय समानता की परसिथतियों से भी संबन्धति है ।
- सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लगी, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या वकिलांगता जैसे मानकों की असमानता को समाप्त करना होगा ।
- संयुक्त राष्ट्र संघ 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन' (International Labour Organization- ILO) की 'नषिपक्ष वैश्वीकरण के लयि सामाजिक न्याय पर घोषणा' जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दशा में कार्य कर रहा है ।

ऐतहासिक पृष्ठभूमि:

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सर्वसम्मति से 10 जून, 2008 को नषिपक्ष न्याय के लयि सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाया गया, यह वर्ष 1919 के ILO के संवधान नरिमाण के बाद से इसके द्वारा अपनाए गए सदिधांतों और नीतियों में तीसरा प्रमुख प्रयास है ।
- यह घोषणा वर्ष 1944 के 'फलाडेल्फिया घोषणा' और वर्ष 1998 के 'कार्य में मौलिक सदिधांतों और अधिकारों की घोषणा' को आधार बनाता है ।
- वर्ष 2008 की घोषणा वैश्वीकरण के युग में ILO के जनादेश की सामाजिक न्याय की समकालिक अवधारणा को अभवियक्त करती है ।

2008 की घोषणा का महत्त्व:

- यह वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम पर ILO की रपिर्ट के मद्देनजर शुरू हुई त्रपिक्षीय परामर्श का परणाम है ।
- यह घोषणा वर्ष 1999 के बाद से ILO द्वारा वकिसति 'आदर्श कार्य अवधारणा' (Decent Work Agenda) को संस्थागत रूप प्रदान करती है ।
- यह घोषणा वैश्विक वत्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, बहषिकार, सामाजिक असमानता और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण एवं पूरण भागीदारी जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की दशा में कार्य करती है ।

सामाजिक न्याय का महत्त्व:

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के अधिकारों का स्रोत, सत्ता की प्रकृति तथा संविधान लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, जहाँ सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय को संविधान के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है।
- सामाजिक न्याय की सुरक्षा मौलिक अधिकारों एवं नीतिनिदेशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से भी की गई है।
- भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को न केवल विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति अपितु किसी वर्ग विशेष के लिये यथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लिये विशेष व्यवस्था के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है।

भारत में संवैधानिक और अन्य संस्थागत प्रयास:

- सर्वोच्च न्यायालय ने **मेनका गांधी मामले** में अनुच्छेद 21 की पुनः व्याख्या करते हुए इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ गरमापूरण जीवन जीने का अधिकार, नजिता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक सुरक्षा व परिवार के संरक्षण का अधिकार आदि को शामिल किया।
- अनुच्छेद 14 में **'वधि के समक्ष समता'** और **'वधियों का समान संरक्षण'** दोनों को स्थान दिया है तथा **सकारात्मक वधिदान** अर्थात् **तरक संगत वर्गीकरण** को स्वीकृत किया है।
- **मनिर्वा मलिस मामले (1980)** में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या की कि संसद **निदेशक तत्वों** को लागू करने के लिये **मूल अधिकारों** को संशोधित कर सकती है, यद्यपि संशोधन **मूल ढाँचे** को क्षति नहीं पहुँचाते हो।

चुनौतियाँ:

- भारतीय समाज की पतिव्रतीय, पतिसत्तात्मक, पतिस्थानिकता, जातिव्यवस्था जैसी विशिष्ट समस्याओं ने सामाजिक न्याय प्राप्ति के समक्ष नवीन चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं।
- **'ऑक्सफैम रपिर्ट'** के अनुसार, भारत और विश्व में आर्थिक असमानता नरिंतर बढ़ रही है
- **'लैंगिक अंतराल रपिर्ट'** के अनुसार, लैंगिक न्याय में भारत की स्थिति बहुत दयनीय है।
- **'ग्लो अर्थव्यवस्था'** ने शर्म कषेत्र के समक्ष नवीन चुनौतियाँ पेश की है।

आगे की राह:

- हमें अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ ही कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता है ताकि मूल अधिकारों में उल्लेखित राजनैतिक न्याय के साथ ही नीतिनिदेशक तत्वों में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की प्राप्ति की जा सके।

स्रोत: द हट्टू